न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 14/20 **सन् 2020**

जीसीएमएस संख्या 2020/00028

बउनवानी–रामफूल पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी कुण्डेरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 539/2019 निर्णय दिनांक 22.10.2019 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री मनीष तवंर — वकील अपीलान्ट

2. श्री तौफिक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 28.01.2021**

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 539/2019 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2075 में वाके ग्राम कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर की गै0मु0 नाला की भूमि आराजी ख0न0 2431 रकबा 0.01 है0 पर बाडा व टापरी बनाकर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूॅठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। क्योकि विवादित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के पास है जिसकी बिना नाप चोप किये ही अपीलान्ट को अतिक्रमी माना है। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नही किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत अपीलान्ट के विरूद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। जहॉ तक अपीलान्ट की पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के क्रियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिसके आधार पर अपीलान्ट को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नही माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.02.2020 को नकल प्राप्त होने पर हुई, प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की अपीलान्ट पुत्री फोरन्ती से करवायी गई विधिवत तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नही किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की तलवी हेतु जारी नोटिस की उसकी पुत्री (बालिग या नाबालिग स्पष्ट नही) से करवायी गयी तामील से हो जाती है। जहॉ तक अपीलान्ट के पश्चात्वर्ति अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के आधार पर नही की जा सकती है, क्योकि पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नही है इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को उक्त भूमि पर से पूर्व मे बेदखल किये जाने व फसल कुर्की इत्यादि से संबंधित कोई दस्तावेज नही है। यद्यपि मौका रिपोर्ट दिनांक 21.12.20 के आधार पर अपीलान्ट का वर्तमान मे भी कब्जा साबित होता है किन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। उपरोक्त विवेचन से यह सिद्व होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया है ओर ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सम्पूर्ण दस्तावेज हमफीता किये गये है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट को सजा की सीमा तक सशर्त स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सजा की सीमा तक इस शर्त पर स्वीकार की जाती है कि यदि विवादित भूमि पर से अपीलान्ट अपना कब्जा हटा लेता है ओर भविष्य मे कब्जा नही करने का अण्डर टैंकिंग प्रस्तुत कर देवे तो आदेश जैर अपील से दी गयी सजा माफ समझी जावे। यदि कब्जा नही हटाता है तो आदेश जैर अपील से दी गयी सजा यथावत रहेगी। बेदखली एवं वसूली के आदेश यथावत रहेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को लिखवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested